

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

[ 29/7/2025 ]

प्रश्न सं. [ क. 94 ],

परिशिष्ट "उ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र० - 94

प्रोफार्मा

| क्र० | थाना    | वर्ष             | राष्ट्रक दुर्घटनाएँ | मृत्यु की दुर्घटनाएँ | रिगार्ड |
|------|---------|------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 00   |         |                  |                     |                      |         |
| 01   | माखननगर | 2015             | 138                 | 15                   | -       |
| 02   | माखननगर | 2016             | 123                 | 15                   | -       |
| 03   | माखननगर | 2017             | 124                 | 21                   | -       |
| 04   | माखननगर | 2018             | 124                 | 23                   | -       |
| 05   | माखननगर | 2019             | 101                 | 29                   | -       |
| 06   | माखननगर | 2020             | 73                  | 30                   | -       |
| 07   | माखननगर | 2021             | 71                  | 18                   | -       |
| 08   | माखननगर | 2022             | 82                  | 27                   | -       |
| 09   | माखननगर | 2023             | 81                  | 22                   | -       |
| 10   | माखननगर | 2024             | 81                  | 23                   | -       |
| 11   | माखननगर | 2025 (30 जून तक) | 43                  | 14                   | -       |

1043

237

जयपुर जिलाधिकारी  
महेश चट्टोपाध्याय, शासक,  
रूर (प्रतिष्ठ) विभाग, नं० (1)  
बल्लभपुर, भोपाल

पुलिस अधीक्षक,  
नर्मदापुरम

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ-20-01/2012/1/4  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2014

समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।

- विषय:- सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता में वृद्धि बाबत ।  
सन्दर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र० एफ-20/1/2007/1/4 दिनांक 25 जुलाई, 2009 ।

-0-

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में शासन के सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों के तहत वर्तमान में मृत व्यक्ति के परिवारजनों को रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) एवं घायलों को रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार) अधिकतम आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश हैं । राज्य शासन द्वारा पुनर्विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जावे :-

- (1) सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को अधिकतम रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
- (2) गंभीर रूप से घायल होने पर अधिकतम रुपये 7,500/- (रुपये सात हजार पांच सौ)

2. सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति संबंधित कलेक्टर द्वारा ही जारी की जायेगी ।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-02-लेखाशीर्ष-2235-

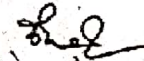
.....2

  
अनुमान अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
एफ (प्रशिष्ट) विभाग, बी (1),  
वल्लभ भवन, भोपाल

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-(1982)-दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता-42-सहायक अनुदान -007-अन्य आयोजनेत्तर के अतर्गत विकलनीय होगा ।

4. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।
5. यह अनुमोदन वित्त विभाग के यूओओकमांक 363/1685/ब-8/चार/13 दिनांक 21/03/2013 द्वारा प्रदान की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(के० सुरेश)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

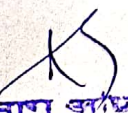
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

कमांक:एफ:20-01/2012/1/4

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वित्त विभाग मंत्रालय,
  2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर/भोपाल,
  3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री मंत्रालय भोपाल,
  4. शासन के समस्त विभाग,
  5. समस्त विभागाध्यक्ष,
  6. निज सचिव/निज सहायक मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण, म० प्र० शासन,
  7. समस्त संभागीय आयुक्त, म० प्र०,
  8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी म० प्र०,
  9. मुख्य लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,
  10. सहायक संचालक, जनसम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
मध्यप्रदेश शासन,

तह (प्रविष्ट) विभाग, बी (1)

नवतलप, भोपाल

(आर० एन० चौहान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग